हाईटेक टाउनशिप परियोजनाओं को मिलेगी बड़ी रियायत

टाउनशिप की संशोधित नीति में कई रियायतों का प्रस्ताव

मुख्य सचिव के समक्ष हुआ नीति में प्रस्तावित संशोधनों का प्रस्तुतिकरण

लखनऊ। प्रदेश के विभिन्न शहरों में संचालित हाईटेक टाउनशिप परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सरकार बड़ी रियायत देने पर विचार कर रही है। इसके लिए मौजूदा टाउनशिप नीति में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसमें टाउनशिप की ठप परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने पर जोर दिया गया है। आवास एवं नियोजन विभाग की ओर से तैयार संशोधन प्रस्ताव में शामिल नए बिंदुओं का बृहस्पतिवार को मुख्य सचिव आरके तिवारी के समक्ष प्रस्तुतिकरण दिया गया।

प्रमुख सचिव आवास एवं नियोजन दीपक कुमार ने संशोधनों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इस मुद्दे पर हुई बैठक में बताया गया कि संशोधित नीति में लखनऊ, गाजियाबाद व नोएडा समेत अन्य शहरों में चल रही परियोजनाओं के लिए पूर्व में आवंटित क्षेत्रफल को जहां कम किया जाएगा, वहीं परियोजना को पूरा करने के लिए पूर्व निर्धारित समय में हुए बिलंब को भी शून्य मानते हुए अतिरिक्त समय देकर परियोजनाओं को तेजी पूरा कराने को नीति में शामिल किया गया है। कोर्ट, नियामक प्राधिकरणों व शासकीय अभिकरणों की कार्रवाई से हुए विलंब की अवधि को शून्य कर समय विस्तार देने पर विचार किया जा रहा है। जिन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए पहले से ही समय विस्तार गया है उन परियोजनाओं पर विलंब शुल्क लगाकर पुनः समय देकर पूरा कराने की व्यवस्था की जाएगी। बैठक में संशोधन में शामिल मानक व शुल्क निर्धारण समेत अन्य बिंदुओं की भी विस्तार से जानकारी दी गई। इससे पहले मुख्य सचिव ने विभिन्न शहरों में संचालित टाउनशिप परियोजनाओं के प्रतिनिधियों की समस्याएं भी सुनीं। ब्यूरो